



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223123
CG-DL-E-18112020-223123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]
No. 595]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2020/कार्तिक 26, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020/KARTIKA 26, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) श्री चंद्र वाधवा,
1305-1306 विजया भवन,
बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

सदस्य ; "

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 68(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.नि. 564(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. 969(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 328(अ), तारीख 22 मार्च, 2016, सा.का.नि. 539(अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2018, सा.का.नि.33(अ), तारीख 14 जनवरी, 2020 और सा.का.नि. 339(अ), तारीख 1 जून, 2020 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2020

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, namely:—

2. In the said notification, for serial number (2) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“(2) Shri Chandra Wadhwa, 1305-1306, Vijaya Building, Barakhamba Road, New Delhi-110001	Member;”
---	----------

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 3(4)/Misc./2015-PI]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended vide number G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012, G.S.R. 564(E), dated the 21st August, 2013, G.S.R. 323(E), dated the 27th April, 2015, G.S.R. 969(E), dated the 15th December, 2015, G.S.R. 328(E), dated the 22nd March, 2016, G.S.R. 539(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 1246(E), dated the 11th October, 2017, G.S.R. 1001(E), dated the 8th October, 2018, G.S.R. 33(E), dated the 14th January, 2020 and G.S.R. 339(E), dated the 1st June, 2020.